


**आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली**  
**(कार्मिक विभाग)**

कार्यालय  
महाप्रबंधक (कार्मिक)

**नोट**  
**मतदाताओं के लिए सामान्य दिशा निर्देश**

\*\*\*\*\*

- (1.) सेक्रेटरी पद के लिये बैलेट पेपर पीला कलर का है जिसमें केवल एक प्रत्याशी (Hony. Secretary) को उनके नाम के सामने वाले बॉक्स में क्रास वाली सील का चिह्न लगाकर अपना मत देना है।
- (2.) इसी तरह गुलाबी कलर का बैलेट पेपर कोषाध्यक्ष का है जिसमें भी किसी एक प्रत्याशी को उसके नाम के सामने वाले बॉक्स (Hony. Treasurer) में क्रास वाली सील चिह्न लगाकर अपना मत देना है।
- (3.) उपरोक्त दोनो बैलेट पेपर पर एक से अधिक नामों के आगे क्रास वाली मुहर लगाने पर अथवा दो नामों के बीच मुहर लगाने पर मत अवैध माना जाएगा।
- (4.) सदस्यों (Members) का बैलेट पेपर सफेद कलर का है जिसमें 25 सदस्यों के नाम छपे हैं मतदाता उन 25 सदस्यों में से कोई भी 06 सदस्यों के नाम के सामने वाले बॉक्स में क्रास की मुहर लगाकर अपना मत दे सकता है। इन बैलेट पेपर पर भी 06 से अधिक क्रास वाली मुहर लगाने अथवा दो नामों के बीच लाईन पर मुहर लगाने पर मत अवैध माना जाएगा।
- (5.) मतदाता अपने मत का प्रयोग करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि बैलेट पेपर पर निर्वाचन अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर अंकित हो, यदि बैलेट पेपर पर निर्वाचन अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं पाया गया तो वह मत अवैध माना जाएगा और इस प्रकार के मतों की गणना नहीं की जाएगी।
- (6.) यदि किसी वर्कर क्लब मतदाता सदस्य को मतदान करने की प्रक्रिया समझ में नहीं आती है तो कृपया वह पोलिंग बूथ पर उपस्थित पीठासीन अधिकारी से जानकारी प्राप्त कर सकता है।
- (7.) वर्कर्स क्लब सदस्य मतदाताओं को यह भी सूचित किया जाता है की वे मतदान स्थल पर पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति से किसी भी मामले पर कोई पूछताछ नहीं करेगा।
- (8.) मतदाता अपना मत दे कर तुरन्त ही मतदान कक्ष के बाहर जाय।

  
(डी.एस.मीना) 27.12.22  
निर्वाचन अधिकारी  
आरेडिका रायबरेली

- प्रतिलिपि:-**
- (1.) पीठासीन अधिकारी एवं मतगणना अधिकारी, प्रथम एवं द्वितीय, आरेडिका, रायबरेली।
  - (2.) समस्त प्रत्याशी सचिव कोषाध्यक्ष एवं सदस्य वर्कर क्लब आरेडिका, रायबरेली।
  - (3.) PS To CPO, आरेडिका, कृपया MCF की वेबसाइट पर अपलोड करें।
  - (4.) महासचिव आर.सी.एफ.एम.यू. / आर.सी.एफ.एम.सी. / एस.सी.एस.टी. / ओ.बी.सी. एसोशिएशन एवं बी.एम.सी.।
  - (5.) नोटिस बोर्ड।

